

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।
सेवा में,

प्रबन्धक,
न्यू पब्लिक कॉलेज, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ।

पत्रांक-आ०शु/ 4000 104-05 दिनांक-9.9-04

विषय-प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उक्त विषयक के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 984/15069010(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1998 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्य एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति लखनऊ आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षासत्र से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है।

1. विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत रहे।
2. प्राभूत/सुरक्षित कोष के निमित्त अपेक्षित धनराशि बैंक/पो०आ० में जमा एवं अघोहस्ताक्षरी के पद, नाम से बन्धक रहे।
3. विद्यालय का निजी भवन हो एवं प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षों/क्रीडास्थल की व्यवस्था मानक के अनुसार की जाय।
4. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
5. अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन से इस कार्यालय की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जाय।
6. विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण/शिक्षण सामग्री/विज्ञान तानग्री/क्रीडा सामग्री की व्यवस्था की जाय।
7. विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अनुकूल शुल्क लिया जाय।
8. शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय।
9. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

विद्यालय को अस्थाई मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है कि प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासनादेश संख्या 1873/15069818 एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 98 के अनुसार (5वर्ष में) स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय

डा०(अरुण कुमार दुबे)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।
दिनांक-वही।

पृ०सं०-आशु०लि०/

104-05

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
2. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
5. नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

डा०(अरुण कुमार दुबे)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, मध्यम मान्यता समिति
बृहत् मण्डल, लखनऊ।
सेवा में,
प्रबन्धक,

न्यू पब्लिक जूहाऊकूल, सैफ़ी साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ।

पत्रांक-अशु.लि./9644

/2004-05

दिनांक-21-3-2005

विषय-अग्रसंकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थाई मान्यता।

महोदय,
शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस (7)/86, दिनांक 13 अगस्त 1997 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत 'मध्यम मान्यता समिति' के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदान की जाती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1-प्रधानाध्यापक | एक पद। |
| 2-सहायक अध्यापक | चार पद। |
| 3-लिपिक | एक पद। |
| 4-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | एक पद। |

सहायक अध्यापकों की चार संख्या में एक अध्यापक विज्ञान तथा एक भाषा का होगा। समस्त शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा।

विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि के योजना लागू की जानी चाहिए। उक्त जनशक्ति में विभाषा/प्रसार/काफ़्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।

अग्रसंकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की वश में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

डा०(अरुण कुमार दुबे)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।
तद्विनांक।

/2004-05-

पु०संख्या-अशु०लि०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक (बे०)उ०प्र०इलाहाबाद।
- 2-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०इलाहाबाद।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक/मध्यम मान्यता समिति शिक्षा निदेशक लखनऊ।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लखनऊ।
- 5-विश्वविद्यालय विभाग अधिकारी, लखनऊ।
- 6-उप बे० शि० अ०/क्षेत्रीय सहा. बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ।
- 7-सहायक अधिकारी, बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।